राजस्व अपील संख्या 205 / 2022

अनवान
चन्द्राराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा

दिनांक 13–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां (शिविर प्रभारी ओसियां) द्वारा पारित आदेश क्रमांक / कोर्ट / 2021 / 792 दिनांक 3–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर तहसीलदार तिंवरी से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो प्राप्त नही होने पर वकील अपीलांट के निवेदन पर हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–12–2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकांरी ओसियां द्वारा पारित आदेश क्रमांक / कोर्ट / 2021 / 792 दिनांक 3–12–2021 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार / तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो / हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त,
जोधपुर